## <u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2025-26/ No.Au/Trg/11-2/2025-26/ दिनांक: 02 जून 2025 Date: 02.06.2025

## <u>अनुभागीय आदेश सं.83/ SECTIONAL ORDER NO. 83</u>

अनुभागीय आदेश संख्या 79 दिनांक 30.05.2025 में आंशिक संशोधन के तहत, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मूल रूप से नामांकित अधिकारी के स्थान पर नामांकित किया गया है, जो RCBKI, चेन्नई में आयोजित किए जाना है।

In partial modification of Order No.79 dated 30.05.2025, the following official of this office has been nominated in place of the originally nominated official for the training programs mentioned against his name, scheduled to be conducted at RCBKI, Chennai.

SI No	Name of the Official Originally Nominated (Shri. / Smt.)	Name of the Substitute Nominated (Shri. / Smt.)	Dates of Training	Training Course
1.	Sajeev Kumar N (No.II), AAO AMG II/ Audit I	Vijendra Kumar Raiswal, AAO (P) AMG II/ Audit I	03.06.2025 to 06.06.2025	Compliance Audit

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

(उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 02 जून 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपिः-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)	
2.	संबंधित अधिकारी	5.	म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव	
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए	